तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
20-6-2013	**एकलपीठ** **श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, सदस्य** **उपस्थिति :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक निगरानीकर्तागण श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक गैर निगरानीकर्ता संख्या-1 श्री रामसुख चौधरी, उप राज. अभि. गैर निगरानीकर्ता सं. 6 **आदेश** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-230 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 24-4-2013 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं । इस आदेशिका द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या-1 लालचन्द की ओर से दिनांक 6-5-2013 को प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 13-6-2013 को सुनी बहस के आधार पर किया जा रहा है । गैर निगरानीकर्ता प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अमृतपाल सिंह का प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्य के संबंध में यह तर्क रहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में निर्णय व डिक्री की पालना स्थगित की गयी थी । उस अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण ने निगरानी पेश की है जो ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में जारी स्थगन के विरूद्ध प्रस्तुत इस निगरानी को दर्ज कर जारी स्थगन आदेश के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का स्थगन आदेश अपास्त हो गया और उसकी आड़ में निगरानीकर्ता प्रत्यर्थीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति का नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया और अब कब्जे में दखल देने की धमकी दे रहे हैं जबकि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है । यह निगरानी इस आधार पर पेश की गयी है कि मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध अपील पेश की गयी है, जो पोषणीय नहीं बताई गई, परन्तु वास्तव में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे में विचारण के दौरान ही बलवीर व विद्या देवी की मृत्यु हो चुकी थी उनके वारिसान को रिकार्ड पर लाये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया । जिससे यथित होकर अपील पेश की गयी थी । मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रस्तुत अपील सद्भावी भूल है जिससे निगरानीकर्ता प्रत्यर्थीगण उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते थे और गलती सुधारी जा सकती थी । प्रथम अपील में जो बिंदू उठाये जाने हैं वह इस निगरानी द्वारा तय नहीं किये जा सकते । प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश पूरी तरह से अन्तरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है । माननीय बोर्ड द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश को स्थगित करने के कारण प्रार्थी गैर निगरानीकर्तागण के समक्ष कठिनाईयां पैदा हो गयी है । निगरानीकर्तागण ने राजस्व अधिकारियों को डरा धमका कर अपील के लम्बित रहते ही नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया और अब धमकी देकर प्रार्थी गैर निगरानीकर्ता को बेदखल करने पर आमादा है । निगरानी पोषणीय नहीं होने से प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये निगरानी खारिज की जावे । यह धारा-221 के तहत नहीं पेश की गयी है, बल्कि धारा-230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है, जो पोषणीय नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश-41 नियम-5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्थगन आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है । विकल्प में उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रारम्भिक आपत्ति के स्तर पर निगरानी खारिज नहीं की जाती है तो रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने का आदेश पारित किया जावे । गैर निगरानीकर्ता प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :- (1) गिर्राज प्रसाद बनाम भगवती देवी 2012(1) आर.आर.टी. पृष्ठ-281 (2) जयपालसिंह बनाम बजरंगसिंह 2011(18) आर.बी.जे. पृष्ठ-214 (3) हुकम सिंह बनाम राजस्थान राजय 2011(18) आर.बी.जे. पृष्ठ-176 (4) राजस्थान राज्य बनाम उमरावसिंह आदि 2012(1) डी.एन.जे. पृष्ठ-184 अप्रार्थी निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक श्री अशोक अग्रवाल ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी गैर निगरानीकर्ता ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध अपील पेश कर गलत रूप से प्रथम अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्राप्त किया था, जो अपील पोषणीय नहीं थी मगर फिर भी स्थगन आदेश पारित किया गया, इसलिये निगरानी पेश की गयी है । माननीय एकलपीठ द्वारा निगरानी विचारार्थ ग्रहण कर स्थगन आदेश पारित किया गया है । विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों में अन्तरिम आदेश के विरूद्ध भी निगरानी पेश की जा सकती है । वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भी विशेष प्रकृति की थी । एक बार बोर्ड द्वारा निगरानी को विचारार्थ ग्रहण कर लेने के बाद और स्थगन जारी कर देने के बाद प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निगरानी की पोषणीयता को चुनौती नहीं दी जा सकती । प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश अपील योग्य नहीं होने से निगरानी पेश की गयी है । प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर विचारार्थ ग्रहण की गयी निगरानी को बिना गुणावगुण पर सुनवाई किये खारिज नहीं किया जा सकता । विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध होने से व पोषणीय नहीं होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी को गलतियों को सुधारते हुये कायम मुकामान बनाकर नई अपील पेश करने की अनुमति दे सकता है । विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी के गुणावगुण पर निर्णय करने का निवेदन करते हुये प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया । अप्रार्थी निगरानीकर्ता संख्या-1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :- (1) देवीलाल चतुर्वेदी के वारिसान बनाम वन विभाग एवं अन्य 2008 आर.आर.डी. पृष्ठ-731 (2) राजस्थान राज्य बनाम निरंजनदास 1990 आर.आर.डी. पृष्ठ-395 (3) शंकरलाल व अन्य बनाम उम्मेदसिंह व अन्य 1993 आर.आर.डी. पृष्ठ-814 (4) श्रीमती सुधा व अन्य बनाम मनमोहन व अन्य 1995(1) डी.एन.जे. (राजस्थान) पृष्ठ-183 (5) सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल व अन्य 1993 आर.आर.डी. पृष्ठ-598	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	(6) राजस्थान सरकार बनाम मृतक बरदा 2010(16) आर.बी.जे. पृष्ठ-48 (7) राजस्थान सरकार बनाम प्रतापाराम व अन्य 2007(1) आर.आर.टी. पृष्ठ-9 विद्वान उप राजकीय अभिभाषक गैर निगरानीकर्ता संख्या-6 ने प्रकरण का निस्तारण विधिसम्मत् रूप से किये जाने की प्रार्थना की । मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । निगरानीकर्तागण ने धारा-230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रथम अपील उनवानी लालचन्द बनाम गुरदयाल कौर आदि में पारित आदेश दिनांक 24-1-2013 के विरूद्ध निगरानी पेश की है । निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश को गलत बताते हुये प्रथम अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है । निगरानी की सुनवाई के दौरान गैर निगरानीकर्ता लालचन्द ने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निगरानी खारिज करने का निवेदन किया है । मुख्य रूप से प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र में यह आक्षेप लिया गया कि प्रथम अपील में दर्ज रजिस्टर करने व पारित स्थगन आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है क्योंकि वह अन्तरिम आदेश है । इसलिये प्रारम्भिक आपत्ति के स्तर पर ही निगरानी खारिज की जावे । अप्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्थान राज्य बनाम निरंजनदास, शंकरलाल बनाम उम्मेदसिंह व राजस्व मण्डल की एकलपीठ व खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश श्रीमती सुधा आदि बनाम मनमोहन आदि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित मार्गदर्शन व सुरेन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल आदि के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों से हमारा मार्गदर्शन होता है । उक्त न्यायिक नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के मुताबिक एक बार निगरानी विचारार्थ ग्रहण कर लिये जाने पर उसकी ग्राहयता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अन्तरिम आदेश के लिये निगरानी पेश की गयी है । इसलिये प्रार्थी निगरानीकर्ता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	लालचन्द के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक नजीरें गिर्राज प्रसाद बनाम भगवती देवी, जयपालसिंह बनाम बजरंगसिंह, हुकमसिंह बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों से यह मार्गदर्शन प्राप्त होने से भी कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है, इस स्तर पर उक्त न्यायिक नजीरों के प्रकाश में प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर निगरानी खारिज नहीं की जा सकती। क्योंकि राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा बाद सुनवाई निगरानी को एक बार विचारार्थ ग्रहण कर लिया गया है और स्थगन आदेश पारित किया जा चुका है । यह सही है कि प्रार्थी गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, लेकिन इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से प्रथम अपील की पोषणीयता के बाबत दिये गये तर्को के आधार पर इस स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । प्रथम अपील पोषणीय है या नहीं । यह निगरानी पर गुणावगुण पर विचार करने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है । जहां तक प्रथम अपील पोषणीय नहीं होने के संबंध में अप्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सरकार बनाम मृत बरदा, राजस्थान राज्य बनाम प्रतापाराम (मृतक) की न्यायिक नजीनों के संबंध में उनके बारे में भी इस स्तर पर किसी प्रकार का अवलम्बन लेकर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है । चूंकि निगरानी विचारार्थ ग्रहण की जा चुकी है और निगरानी का निस्तारण बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर किया जाना है । इसलिये प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के आधार पर पूर्व से दर्ज निगरानी को पोषणीयता नहीं होने का आधार मानकर खारिज नहीं किया जा सकता । इसलिये प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । प्रार्थी गैर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से यह अनुतोष चाहा कि मौका व रिकार्ड की स्थिति को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावे । विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में गैर निगरानीकर्ता संख्या-2 द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पत्र, अपील व निगरानी के लम्बित रहते तस्दीक हुये नामान्तरकरण व दिनांक 15-5-2013 को तहसीलदार को लिखे पत्र की प्रतियां पेश की है विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री व निर्णय की पालना स्थगित रखने का जो आदेश दिया था, उसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा स्थगित करने का आदेश पारित किया है जिसके कारण वादग्रस्त सम्पत्ति का अपील के लम्बित रहने के दौरान ही नामान्तरकरण तस्दीक हो गया है और कब्जा प्राप्ति की कोशिशें जारी है । निगरानीकर्ता अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा जारी स्थगन आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का निवेदन किया । परन्तु इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां विशेष प्रकृति की प्रतीत होती है । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन के बाद उस आदेश को राजस्व मण्डल द्वारा स्थगित करने के कारण वादग्रस्त संपत्ति की मौका व रिकार्ड की स्थिति प्रभावित हो रही है । राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा जारी स्थगन आदेश को इस स्तर पर अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है, लेकिन प्रकरण की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 30-4-2013 को जारी स्थगन आदेश में आंशिक परिवर्धन करते हुये न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि निगरानी के निस्तारण तक दोनों पक्ष मौका एवं रिकार्ड की वर्तमान स्थिति को यथावत् बनाये रखें । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक ..... को पेश हो । आदेश सुनाया गया । **(राजेन्द्र सिंह चौधरी)** **सदस्य** **राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**	